बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– संचिका सं0–5 / स0 (विविध)–पी0पी0सी0–8 / 16 6647 पटना, दिनांक– 22-12-16

प्रेषक,
सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय– **मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना (2012–17) के अन्तर्गत अग्र परियोजना केन्द्र, इनारावरण कटोरिया, बाँका एवं श्यामबाजार, बाँका में रू0 46,43,800/–(छियालीस लाख तैंतालीस हजार आठ सौ) मात्र की इकाई लागत से एक–एक ककून बैंक निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए वर्तमान वर्ष 2016–17 में कुल रू0 92,87,600/–(बिरानवे लाख सतासी हजार छः सौ) मात्र की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार विभागीय संकल्प संख्या– 2316 दिनांक 14.05.2012, के क्रम में कहना है, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना (2012–17) के अन्तर्गत अग्र परियोजना केन्द्र, इनारावरण कटोरिया, बाँका एवं श्यामबाजार, बाँका में रू0 46,43,800/–(छियालीस लाख तैंतालीस हजार आठ सौ) मात्र की इकाई लागत से एक–एक ककून बैंक निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए वर्तमान वर्ष 2016–17 में कुल रू0 92,87,600/–(बिरानवे लाख सतासी हजार छः सौ) मात्र की विमुक्त करने की कृपा की है।

2. विमुक्त राशि रू0 92,87,600/–(बानवे लाख सतासी हजार छः सौ) मात्र का व्यय बजट शीर्ष; मुख्य शीर्ष–4851–ग्राम तथा लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–107 रेशम उत्पादन उद्योग, उप शीर्ष–0103– रेशम भवन विपत्र कोड P4851001070103 के विषय शीर्ष 5301 मुख्य निमार्ण कार्य मद से विकलित होगा। इसके लिए वर्तमान वर्ष में यथेष्ठ उदव्यय/उपबंध प्राप्त है।

3. विमुक्त राशि रू0 92,87,600/–(बानवे लाख सतासी हजार छः सौ) मात्र की एकमुश्त निकासी वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से BTC–46 प्रपत्र पर करते हुए प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में संचालित खाता PLA 268 में जमा करने की स्वीकृति दी जाती है।

4. राशि की निकासी में वित्त विभाग के पत्रांक 8244 दिनांक 02.08.11 एवं 500 दिनांक 18.01.11 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. इस योजना का कार्यान्वयन आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना द्वारा संबंधित अग्र परियोजना पदाधिकारी की निगरानी में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार किया जाएगा। यह प्राक्कलन प्राधिकार के पत्रांक 2001/PDA दिनांक 21.09.2016 एवं पत्रांक 2002/PDA दिनांक 21.09.2016 से प्राप्त हुआ है। प्राक्कलन में प्राधिकार की तकनीकी समिति का अनुमोदन दिनांक 19.09.2016 को प्राप्त है।

6. इस योजना के नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे, जो सहायक उद्योग निदेशक (रे0), भागलपुर एवं अग्र परियोजना पदाधिकारी, इनारवरण, कटोरिया, बाँका एवं श्यामबाजार, बाँका के द्वारा योजना का अनुश्रवण करेंगे।

M/Rajyadesh

7. यह राज्यादेश संचिका संख्या–5/स0 (विविध)–पी0पी0सी0–8/16 के पृष्ठ 39/टि0 पर दिनांक 16.12.2016 को प्राप्त आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

8. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका– 2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि0(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

21/12/16

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– संचिका सं0–5/स0 (विविध)–पी0पी0सी0–8/16 6647 पटना, दिनांक– 22-12-16

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/16

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– संचिका सं0–5/स0 (विविध)–पी0पी0सी0–8/16 6647 पटना, दिनांक– 22-12-16

प्रतिलिपि– वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/16

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– संचिका सं0–5/स0 (विविध)–पी0पी0सी0–8/16 6647 पटना, दिनांक 22-12-16

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, (IDA), उद्योग भवन, गाँधी मैदान पटना/सहायक उद्योग निदेशक (रे0), भागलपुर/अग्र परियोजना पदाधिकारी, इनारावरण कटोरिया, बाँका/श्यामबाजार, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/16

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– संचिका सं0–5/स0 (विविध)–पी0पी0सी0–8/16 6647 पटना, दिनांक– 22-12-16

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा–1(स0), उद्योग विभाग एवं योजना शाखा–1(स0)/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थएवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/16

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

M/Rajyadesh

7. यह राज्यादेश संचिका संख्या–5/स0 (विविध)–पी0पी0सी0–8/16 के पृष्ठ 39/टि0 पर दिनांक 16.12.2016 को प्राप्त आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

8. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका– 2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि0(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन।

21/12/16

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– संचिका सं0–5/स0 (विविध)–पी0पी0सी0–8/16 6647 पटना, दिनांक– 22-12-16

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/16

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– संचिका सं0–5/स0 (विविध)–पी0पी0सी0–8/16 6647 पटना, दिनांक– 22-12-16

प्रतिलिपि– वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/16

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– संचिका सं0–5/स0 (विविध)–पी0पी0सी0–8/16 6647 पटना, दिनांक 22-12-16

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, (IDA), उद्योग भवन, गाँधी मैदान पटना/सहायक उद्योग निदेशक (रे0), भागलपुर/अग्र परियोजना पदाधिकारी, इनारावरण कटोरिया, बाँका/श्यामबाजार, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/16

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– संचिका सं0–5/स0 (विविध)–पी0पी0सी0–8/16 6647 पटना, दिनांक– 22-12-16

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा–1(स0), उद्योग विभाग एवं योजना शाखा–1(स0)/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थएवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/16

सरकार के संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

12